

छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1-छात्र क्या करें:-

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक (प्रथम वर्ष को छोड़कर), आधार नम्बर आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
- हाई-स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है।
- नवीनीकरण के छात्र आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication)(आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा।
- नवीन छात्र डिजीलाकर के माध्यम से केवाईसी कर आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा।
- नवीनीकरण तथा नवीन छात्र अपने मोबाइल नम्बर अंकित कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे तथा छात्र द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल नम्बर एक ही आवेदन पत्र में मान्य होगा।
- आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाता एवं एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष-2023-24 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाते में ही होगा।
- छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्पेरेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा- हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच लें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय/निवास प्रमाण-पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक प्रबन्धक
सम्बद्ध संस्थान
शिक्षा -

2/2/2023

2


2/2

- पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fee) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि तथा विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंको का मिलान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व पाठ्यक्रम के वर्ष का अंकन सही-सही ध्यानपूर्वक करें।
- छात्र/छात्राये स्वयं का ई०-मेल आई०डी० व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय सारिणी, प्रदर्शित सूचनार्ये एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु <https://scholarship.up.gov.in> पर समय-समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली-भांति पालन करें एवं समय सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लंघन कदापि न करें।
- नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास (Pass)/प्रोन्नत (Promoted with marks) के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरें। परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट नाट यट डिक्लेयर्ड (Result Not yet Declared) के आशान के साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्थान से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एस०एम०एस०(SMS) भी जायेगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना आवश्यक है।

2-छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किये गये मोबाइल नम्बर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिन्ट मान्य नहीं होगा।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा-आधार नम्बर, हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय सारिणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु
















संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।


- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाई स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।
- छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी समस्या के लिये कान्टेक्ट सेंटर के दूरभाष संख्या 0522-3538700 (प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।


निदेशक

समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश।


प्रबन्धक
मुख्यालय




(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय


(सुनील कुमार बिसेन)
संयुक्त निदेशक (मु०)

Important instructions for students

1-What should students do:-

Before filling the online application form, students should submit their marksheet/certificate of educational qualification, caste/income residence certificate (issued online), mandatory annual non-refundable course fee amount, registration number of the current university/board (in the first year). Except, it is necessary to have records like Aadhaar number etc.

* It is necessary to mention the name, father's name, gender and date of birth mentioned in the high school mark sheet and certificate in the same way in the Aadhaar card also.

* Only after demographic authentication of Aadhaar number (matching Aadhaar number, name and date of birth) and entering the OTP received on Aadhaar linked mobile number, the student will be able to fill his application form and get temporary lock online.

* New students will be able to fill their application form and get temporary lock online only after doing KYC and demographic authentication of Aadhaar number (matching of Aadhaar number, name and date of birth) through DigiLocker.

* Renewal and new students will enter their mobile number and verify it through OTP and the mobile number used by the student will be valid in the same application form.

* Mapping of Aadhar number to seeded bank account and NPCI is mandatory. If there is no seeding, the student's application form will not be completed. It is mandatory to get this work done from the concerned bank branch, otherwise there will be a possibility of transaction failure. Payment of scholarship in financial year 2023-24 seeded from Aadhaar number It will be in the bank account only.

- Students should maintain their Aadhaar seeded bank account, maintain minimum balance and ensure that funds are coming into the account. There should not be any maximum limit and must make transactions in the bank account every 03 months.

* After applying online and before temporarily locking the student, he/she should provide his/her complete details like high school/intermediate roll number, caste/income certificate serial number and application serial number, details of marks obtained by the student in the last examination, current The minimum qualification for taking admission in the course, type of course and curriculum, amount of approved annual fee, category mentioned in the application form (Scheduled Caste, Scheduled Tribe, General Class, Backward Class, Minority Class) etc. are carefully scrutinized. Take it.

* All students should fill their application form themselves. Create your own password for the online application form. If students are applying from cyber café/institution, then fill all the entries in the application form in front of them and check all the entries themselves by taking a printout of the verification and if there is any error, then submit the application form online only after correcting it. Submit .

* After submitting the application form, you will be able to take the final print for the institution after three days. If there is any error in the application form in caste/income/residence certificate number and application number, income and high school/intermediate roll number, then it will have to be printed in these three. Will be displayed on your login within days. Only after making corrections (except the high school roll number), take the final print of the application form to submit it to the educational institution and take the acknowledgment of submission of the application form from the institution.

* In the column of mandatory annual fee (Non-Refundable fee) of the course, enter the actual amount of fee only after getting information from the educational institution.

* Even if students do not get funds in the first year, they should renew the previous application form in the next class and not fill a new application form. Students have to fill only a few mandatory entries in the application form for renewal, in which marks obtained in the previous examination, full marks, date of admission in the current course and their registration number of the university/board will have to be filled. Students eligible for renewal should fill the correct marks/marks of the previous class in the application form as the marks will be matched with the result uploaded by the University/Affiliating Agency.

* The type of courses in all private sector institutions will remain self-financed. In Government (GOVT) and Government Aided (AIDed) institutions, enter the type of course (Regular/Self Finance) and year of the course correctly. Students should give only their own e-mail ID and their own mobile number linked to Aadhaar number.

For the prevailing rules, time table, displayed information and other detailed information for the current session, search <https://scholarship.up.gov.in> from time to time and follow the necessary instructions continuously displayed on the website. Never violate the time period given in the timetable.

* Renewal students should fill only their correct marks along with Pass/Promoted with marks in their application form. In case the examination result is not declared, you can apply with the option of Result Not Yet Declared, but if the examination result is not declared within the time period for correcting the doubtful data or the student fills the examination result in the application form, then you can contact the institute. In case of not re-forwarding, the student's data will be considered rejected.

* Students can check the status of their application through their login and password. If the scholarship application is forwarded/rejected by the institution, an SMS will also be sent to the student's mobile. It is necessary for the institute to forward the application form within the prescribed time period.

2-What should students not do?

* Do not hand over the application form to any other person for submission in the educational institution. Submit it yourself to the educational institution and obtain the acknowledgment receipt.

* If the mobile number used in any other application is reused, the final print of the student will not be valid.

* Your personal details/records like Aadhaar number, high school roll number and bank account number and application

Do not share the password and any other data or records created for this purpose with anyone.

* Do not wait for the last date to fill the application form.

* Failed students should not apply for scholarship under any circumstances.

* Without taking the final print out of the application form for submission to the educational institution, the application form will not be considered filled. To submit to the institute even after making amendments within the time period prescribed in the time table.

The revised application form will be valid only after taking out the revised final print and submitting it to the institution and forwarding it to the institution.

* If the student fills incorrect/incomplete/wrong entries in the application form, the full responsibility will be on the student and the application form will be canceled and scholarship will not be allowed. If a student is found to have used the Aadhaar number, high school roll number, bank account, income and caste certificate and any other records of any other student while applying, then punitive action will be taken against the student and the institution as per rules. Doing so will result in the application being rejected.

* If the student's data falls in the doubtful category, then the reason for the doubt will have to be answered online through your institution along with evidence. District level officers (District Social Welfare Officer/District Backward Class Welfare Officer/District Minority Welfare Officer) through the institute, if the scholarship is not made available online within the stipulated time period displayed on the website or if the answers/documents given by the student are correct. If the claim is not confirmed, the data will be rejected (REJECT) through digital signature by the district officials after obtaining the decision from the District Scholarship Approval Committee.

* For any problem related to scholarship, you can contact the contact center on telephone number 0522-3538700 (9:30 am to 6:00 pm except holidays) during office hours.

Director

Social Welfare Uttar Pradesh.